International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं कौशल विकास की भूमिका

मो0 फैसल ईसा
शोध छात्र (जे0आर0एफ0)
शिक्षाशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
मो0 नं0– 9919796693
ई मेल–faisalisa0786@gmail.com

संक्षिप्तिका

मैं एक समुदाय की प्रगति का पैमाना महिलाओं द्वारा हसिल की गई प्रगति को मानता हूँ– **डॉ0 भीम राव अम्बेडकर**। बाबा साहब का यह विचार महिलाओं के विषय में बिल्कुल सही है। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले करने की स्वतन्त्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताऐं उत्पन्न करना जिससे कि वे समाज में अपना सही स्थान हासिल कर सकें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्भव है, शिक्षा के ही माध्यम से महिलायें अपने अधिकारों को जान पायेंगी, निर्णय ले सकेंगी एवं उचित तर्कपूर्ण चिंतन कर सकेंगी । प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा चिंताजनक थी, किन्तु वर्तमान समय में महिलाओं के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने की ललक बढी है जो कि उत्साहजनक है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्थिति एवं महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं कौशल विकास पर प्रकाश डाला गया है।

कुंजी शब्दः महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास।

प्रस्तावनाः

महात्मा गांधी जी का कथन है कि– पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना अधिक आवश्यक है, क्योंकि पुरूष के शिक्षित होने से केवल एक पुरूष ही शिक्षित होता है, परन्तु एक महिला के शिक्षित होने से सारा परिवार शिक्षित होता है। इस कथन में कोई दो राय नहीं है। घर वैसा होता है जैसा उसे गृहणी बनाती है और बच्चे वैसे बनते हैं जैसा उन्हे माँ बनाती है। माता अपने विचारों के माध्यम से जो संस्कार बालक को प्रदान करती है, बालक वैसा ही बनता है। ये संस्कार माँ के सिवाय कोई और नहीं दे सकता। जन्म के बाद से ही बच्चे की हर क्रिया पर माँ की नजर रहती है। इसीलिये माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है। इसलिये महिलाओं की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। **शतपथ ब्राह्मण** में लिखा है– माता, पिता और गुरू जब ये तीन उत्तम शिक्षक होते हैं तभी मनुष्य ज्ञानवान बनता है।

स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार–"दुनिया का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता है, केवल एक पंख पर उड़ना पंक्षी के लिये संभव नहीं है।"

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओ को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त था, शुरूआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतो के उदाहरण है।

महिलाओ के साथ सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार बाल विवाह, देवदासी प्रथा, सती प्रथा आदि से शुरू हुए। महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरूष सदस्यों पर पूरी तर से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के द्वारा अपने लिए किये गये फैसले करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्यकाल में दो कुरीतियां थी– परदा–प्रथा और बाल–विवाह। इससे महिलाओं की शिक्षा पर अपने आप परदा पड़ गया, और उच्च वर्ग एवं मुस्लिम शासकों की महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था उनके महलों के हरम में थी। ब्रिटिश शासन काल के वक्त भी शिक्षा उपेक्षित थी, जो कुछ प्रयास भी किये गये वे लड़कों की शिक्षा के लिए किये गयें। **श्री एडमस** ने उस समय की महिला शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते कहा है कि – समस्त स्थापित शिक्षण संस्थायें पुरूषों के लाभ के लिये बनी हैं और महिला जगत अज्ञानता के अन्धकार में भटक रहा है।

राजा राम मोहन राय जैसे बुद्धजीवियों ने महिलाओं के विरूद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार सम्बन्धी प्रथाओं के खिलाफ आन्दोलन किया। अपने निरन्तर प्रयासों के द्वारा ब्रिटिशों को सती प्रथा समाप्त करने के लिए विवश कर दिया। इसी प्रकार कई अन्य सामाजिक सुधारकों ने स्त्रियों के उत्थान के लिये काम किये। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा शर्तों में सुधार **ईश्वर चन्द्र विद्यासागर** के आंदोलन का परिणाम था।

सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के सभी सम्भव प्रयास किये जाने की सिफारिश की गई। सन् 1917 से 1947 तक महिला शिक्षा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ। सन् 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी दौराल बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 30 हजार महिला शिक्षा संस्थायें थीं जिनमें लगभग 50 लाख से अधिक महिलाऐं शिक्षा ग्रहण कर रही थीं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ–

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले करने की स्वतन्त्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताऐं उत्पन्न करना जिससे कि वे समाज में अपना सही स्थान हासिल कर सकें। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामूहिक एवं वैश्विक सभी

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

क्षेत्रों में सभी स्तरों पर महिलाओं को समानता का अधिकार देना महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण के कुछ मानक अग्रलिखित हैं–

- स्त्रियों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
- स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
- राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में समान भागेदारी को सुनिश्चित करना।
- आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना।

महिला शिक्षा की आवश्यकता:

भारत में अगर गौर किया जाये तो भारतीय समाज, खासकर की पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो कि चिंता का विषय है। महिलाओं की समाज में स्थिति पर विचार करने और महिला शिक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार– किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, और कोई भी जाति, वर्ग, समुदाय इसे नजर–अन्दाज नहीं कर सकता है। महिलायें देश के विकास के लिये उतना ही महत्व रखती हैं जितना देश के खनिज पदार्थ, वहाँ की नदियां और खेती। महिलाओं की शक्ति का सदुपयोग करने, उनका (शक्ति) नियंत्रण करने–किन्तु साथ ही साथ उनके साथ आदर के साथ व्यवहार करने पर– वे ऐसी महान् और प्रबल शक्ति का रूप ले लेती हैं, जिसका राष्ट्र के विकास और लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं पर सामाजिक प्रथाओं और प्रतिबन्ध होने के कारण उन्हें समाज का वैसा अंग माना जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं है।

अतः महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि वे राष्ट्र के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति:

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सर्वप्रथम कदम साक्षरता का होता है। साक्षरता अर्थात पढ़ने लिखने की क्षमता का होना। 1991–2001 में (53.7) महिला साक्षरता की दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि उत्साहजनक थी। किन्तु 2001–2011 में (64.6) 4 प्रतिशत की कमी महिला साक्षरता में हुई जो कि निराशाजनक है। (सारणी–1 के अनुसार)

सारणी संख्या–1 (प्रतिशत में)

जनगणना	कुल साक्षरता	पुरूष	महिला
1951	18.3	27.2	8.9
1961	28.3	40.4	15.4

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

1971	34.5	46.0	22.0
1981	43.6	56.4	29.8
1991	52.2	61.1	39.3
2001	64.8	75.3	53.7
2011	73.0	80.9	64.6

1951-1971: Aged group 5 and above, 1981-2011: Aged group 7 and above
Data Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (website: http://censusindia.gov.in/)

महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकन की स्थिति–

सारणी संख्या–2

(लाख में)

स्तर / वर्ष	प्राथमिक स्तर 1–5	उच्च प्राथमिक स्तर 6–8	माध्यमिक स्तर 9–10	उच्च माध्यमिक 11–12	उच्च शिक्षा स्तर
1950–51	54	5	NA	2	0
1960–61	114	16	NA	7	2
1970–71	213	39	NA	19	7
1980–81	285	68	NA	34	13
2000–01	498	175	74	38	32
2005–06	616	233	105	56	55
2006–07	626	246	110	60	60
2007–08	644	262	123	70	66
2008–09	647	270	130	74	73
2009–10	639	278	138	79	83
2010–11	646	292	143	86	120
2011–12	672	299	155	94	130
2012–13	652	317	163	93	135
2013–14	638	323	176	105	148
2014–15	629	327	182	111	157

NA: Not Available

Note: from 1980-81 to 1990-91, figures for Class XI-XII include Class IX-X

Data Source:

For School Education:-

(i) figures for 1950-51 to 2011-12: Ministry of Human Resource Development, Government of India (website:http://mhrd.gov.in/statist)

(ii) figure for 2012-13 & 2014-15: National University of Educational Planning & Administration, New Delhi (website: http://dise.in/)

** Figures related to School Education are provisional.*

For Higher Education:–

Ministry of Human Resource Development, Government of India (website: http://mhrd.gov.in/statist)

सारणी संख्या–2 को देखने से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर 2010–11 से 2014–15 के बीच महिलाओं की नामांकन में गिरावट आई है, जबकि शिक्षा के अन्य स्तरों पर महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।

महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ड्राप आउट की स्थिति–

सारणी संख्या–3 **(प्रतिशत में)**

कक्षा / वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	उच्च माध्यमिक स्तर
2011–12	5.34	3.20	NA	NA
2012–13	4.66	4.01	14.54	NA
2013–14	4.14	4.49	17.79	1.61

Data Source:

For School Education : National University of Educational Planning & Administration, New Delhi (website: http://dise.in/)

* Figures related to School Education are provisional

सारणी संख्या–3 देखने से यह प्रतीत होता है कि प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का विद्यालय छोड़ने की स्थिति में गिरावट आई है, जो कि उत्साहजनक है सरकार के लिये भी एवं राष्ट्र के लिये भी। किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तरों में वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि चिन्ताजनक है। लड़कियों का स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण–छोटे भाई बहनों की देखभाल, घरेलू कार्यों में माता–पिता की सहायता करना, खेत व खेत के बाहर कार्य करना आदि है। इसी कारणवश लड़किया औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थितिः

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलायें शिक्षा प्राप्त कर रहीं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी ऑकड़े दिये हैं जो कि इस प्रकार हैं– ऑकड़ों के अनुसार 2014–15 में कला संकाय में (32.96) प्रतिशत, साइंस में (12.22) प्रतिशत, कामर्स में (10.77) प्रतिशत, व इंजीनियरिंग में (3.57) प्रतिशत लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहीं थीं।

हलांकि शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है किन्तु स्त्रियों की स्वयं की साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है। इन सभी शैक्षिक उपलब्धियों ने निश्चय ही एक वर्ग के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाया है।

महिला सशक्तिकरण और कौशल विकासः

भारत में महिलाओं का खुद पर भी अधिकार नहीं होता ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वे किसी भी आय या संपत्ति के अधिकार से वंचित, दलित और जनजाति समुदाय से ज्यादा पीड़ित और मजबूर दिखती हैं। अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस (2017) के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा–"मेरी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह भारत की प्रगति की हमारी परिकल्पना तथा हमारे सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन एवं अवसर के केन्द्र में है।" भारत की 71.2 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है जहां महिलाओं की समस्याएं और जटिल हैं। शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अभाव में अधिकतर ग्रामीण महिलाऐं घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं। इन महिलाओं का अनुपात N.S.S.O. के 61 वें दौर (2004–5) में 35.3% से बढ़कर 66 वें दौर (2009–10) में 40.1% हो गया जो कि 68 वें दौर (2011–12) में 42.2% प्रतिशत हो गया। सतत् विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने स्त्रियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाऐं चलायी हैं।

स्किल इण्डियाः

वर्तमान समय में देश के विकास और प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हुनरमन्द बनाया जाये। समाज का विभाजन स्त्री और पुरूष में किया जाता है। इसलिए दोनों की सहभागिता एवं विकास समान रूप से होना जरूरी है। महिलाओं के विषय में तो यह बहुत जरूरी है कि उनके हांथ में कोई हुनर हो, जिससे व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ आत्मनिर्भर हो सकें।

स्किल इण्डिया मिशन के तहत "प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना" का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे महिलाऐं अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें एवं शिक्षा, रोजगार, समान कार्य के

लिए समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

सरकार ने कई विभागों और संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा है। ये विभाग महिलाओं में कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार प्रदान करता है। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को बैंकिंग कोर्स, सिलाई–कढ़ाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, ब्यूटीपार्लर, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार तेजी से कर रहीं है, जिससे कि महिलायें तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

डीडीयू–जीकेवाई–

विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) नामक कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम का अनूठा स्थान है क्योंकि इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार देना, उसकी निगरानी करना, रोजगार जारी रखने और कैरियर में प्रगति को दिए जाने वाले महत्व एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से उनके लिए स्थायी रोजगार पर जोर दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा व बाजार के योग्य कौशलों की कमी और गरीबी के कारण आने वाली बाधाएं आज के रोजगार बाजार में उनके प्रवेश को रोक देती हैं। अतः न केवल ग्रामीण गरीबों को उच्च गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सहायता करने वाले व्यापक परिवेश करने के लिए भी डीडीयू–जीकेवाई की रूपरेखा तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूतम एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

निष्कर्ष:

उपरोक्त बिन्दुओं एवं सारणियों को देखने से यह निष्कर्ष पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को शैक्षिक एवं विभिन्न कौशलों द्वारा और मजबूत करना होगा। साक्षरता दर एवं विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर उनकी स्थिति को निरन्तर उन्नत करना होगा। प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का उचित ढंग से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। कौशल विकास कार्यक्रमों का उचित ढंग से सरकार को प्रचार एवं प्रसार करना होगा जिसके द्वारा महिलायें अधिक से अधिक हुनरमन्द होकर आत्मनिर्भर हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्निहोत्री, आर0. (2007), आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएँ और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- कुमुद, एस0. (2016), उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एक समीक्षात्मक अध्ययन बनारस जनपद के विशेष सन्दर्भ में, डाक्टोरल डिजर्टेशन, वी0बी0एस0पी0 यूनिवर्सिटी, जौनपुर। Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/186168 on 12-04-2018.
- लाल, वी0.बी0. (2014), महिला सशक्तिकरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, डाक्टोरल डिजर्टेशन, वी0बी0एस0पी0 यूनिवर्सिटी, जौनपुर। Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/182349 on 10-04-2018.
- मेहरा, एस, सी. (2017), स्किल इंडियाः आर्थिक विकास के लिए अनिवार्यताएं, भूगोल और आप द्विमासिक पत्रिका (अंक 95), नवम्बर–दिसम्बर 2017, पृ0सं0 6–7।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2016), एजूकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लान्सः वार्षिक रिपोर्ट 2016, Retrieved from http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf on 13-04-2018.
- पाठक, आई0. (2017), शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका (अंक 11), सितम्बर 2005, पृ0सं0 03–08।
- सिंह, एस. (2016), कौशल विकास, दिल्लीः अग्नि प्रकाशन।